

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 शिविर शक्करगढ़)

प्रकरण संख्या 226/2023

दिनांक 15/05/2023

उनवान

श्री हरि लाल पुत्र मदन लाल रेगर

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

—:: आदेश ::—

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज पटवारी हल्का आमल्दा भू.अ.नि. अमरगढ़ की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम आमल्दा प.ह. आमल्दा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 378 में प्रार्थीगण की प्रविष्टि हरि पुत्र मदन लाल बोला के स्थान पर हरि लाल पुत्र मदन लाल रेगर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जायें।

Do

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि ::—

- तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
- प्रार्थी श्री हरि लाल पुत्र मदन लाल रेगर
- रक्षित पत्रावली।

Do

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा